संख्या-87/2016/1136/41-15-130 सा0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2016

विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-474/6-1-1 (410) यो0/2015-16, दिनांक 27-06-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-1588.01 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ अट्ठासी लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 487.32 लाख (रूपये चार करोड सत्तासी लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-71/2288/41-2013-130 सा0/13 टीसी, दिनांक 11-11-2014 द्वारा निर्गत की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संख्या-130/2015/3160/41-15-130 सा0/2015, दिनांक 09 सितम्बर, 2015 द्वारा प्रदान की गयी है

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में रामघाट के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना, स्थल के फोटोग्राफ सहित तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय वित्त समिति की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-13-जनपद चित्रकूट की योजनाएं-1303-चित्रकूट में रामघाट का सौन्दर्यीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-87/2016/1136(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
7- सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://rhasnadesh.up.nic.in